RISING RAJASTHAN

Azadi Ka Amrit Mahotsav

राजस्थान सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 62/2023

अपीलांटगण–

1. श्री खेताराम पुत्र पेमाराम जाति जाट
2. जेतीदेवी पत्नी पेमाराम जाति जाट फौत के कायम मुकाम 2/1 गंगाराम पुत्र पेमाराम फौत के कायम मुकाम 2/1/1 भंवराराम पुत्र गंगाराम 2/1/2 नरपतराम पुत्र गांगराम 2/1/3 खेतुदेवी पत्नी गंगाराम 2/2 श्री मोतीराम पुत्र पेमाराम 2/3 नैनाराम पुत्र पेमारा 2/4 प्रहलादराम पुत्र पेमाराम
3. श्रीमती जमनादेवी पत्नी प्रहलादराम
4. श्री अमराराम पुत्र रेखाराम
5. खेमाराम पुत्र रेखाराम

जातियान जाट, निवासीयान चोकड़ियों की ढाणी तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा।

बनाम

रेस्पोडेंट्स –

1 श्री उदाराम पुत्र गुमनाराम
2 श्री लिखमाराम पुत्र उदाराम
3 श्री अमराराम पुत्र उदाराम
4 श्री पन्नाराम पुत्र उदाराम
5 श्री मोहनलाल पुत्र प्रतापराम
6 श्री चन्द्र प्रकाश पुत्र प्रतापराम

जातियान जाट, निवासीयान चौकड़ियों की ढाणी, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा

7 श्रीमान उप तहसीलदार जसोल
8 श्रीमान तहसीलदार पचपदरा
9 श्री तहसीलदार सिवाना, जिला बालोतरा।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक/भू.अ./16/404 दिनांक 11.02.2016 जो उप तहसीलदार जसोल द्वारा पारित किया।

उपस्थिति :–

1. श्री पुनमाराम चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से उपस्थित।
2. श्री राजीव सारण, अधिवक्ता रेस्पोडेंटगण की ओर से अनुपस्थित।

जिला कलक्टर
बालोतरा

निर्णय

दिनांक : 12.11.2024

1. अपीलांटगण की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट संख्या 7 उप तहसीलदार जसोल के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश क्रमांक/भू.अ./16/404 दिनांक 11.02.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 09.08.2023 को पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा चौकड़ियों की ढाणी, पटवार हल्का गोल सोढ़ा, तहसील पचपदरा के खेत खसरा नंबर 73 रकबा 195 बीघा भूमि अपीलांटगण एवं रेस्पोडेंटगण की संयुक्त खातेदारी भूमि अवस्थित है। उक्त खसरान के खातेदारान अपीलांटगण व रेस्पोडेंटगण द्वारा दिनांक 11.02.2016 को उप तहसीलदार जसोल के समक्ष प्रस्तुत कर संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का बाहमी तौर से विभाजन करने का निवेदन किया। उपरोक्त वर्णित भूमि पक्षकारान के नाम सहकाश्तकारी में दर्ज हैं तथा उपरोक्त विभाजन के सभी पक्षकारान सहमत हैं। इस पर उप तहसीलदार जसोल द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.02.2016 को पारित किया गया। अपीलांट ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश को अपास्त करने हेतु यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 09.08.2023 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अपीलाधीन अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया गया।

4. अपीलांटगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस यह कथन किया कि अपीलांटगण एवं रेस्पोडेंटगण की पैतृक भुमि मौजा चौकड़ीयों की ढाणी, तहसील पचपदरा में खेत खसरा नंबर 73 रकबा 195 बीघा अवस्थित है। उक्त विवादित भूमि अपीलांटगण व रेस्पोडेंटगण संख्या 1 ता 6 की संयुक्त खातेदारी की है। रेस्पोडेंटगण संख्या 1 ता 6 ने अपीलांटगण को वादग्रस्त खेतों का मौके पर कब्जा काश्त व पूर्व किये गये बाहमी बंटवाड़ा अनुसार विभाजित करने व पक्षकारान का पृथक खातेदारी अंकन करने का अपीलांटगण को कहा गया। अपीलांटगण ने रेस्पोडेंटगण एक ही खानदान से होने से उन पर विश्वास करते हुए सहमति दी थी, जिस पर अपीलांटगण व रेस्पोडेंटगण ने पटवारी से मिलकर विभाजन प्रस्ताव मौके पर कब्जा अनुसार तैयार करने को कहा गया, जिस पर पटवारी ने आश्वासन दिया गया। रेस्पोडेंटगण संख्या 1 ता 6 ने पटवारी ने मिलकर उसको प्रभावित कर विभाजन प्रस्ताव तैयार विभाजन समझौता प्रस्ताव संलग्न नक्शे पर पक्षकारान के हस्ताक्षर अपीलांटगण को मुगालते में रखते हुए करवा के पटवारी ने रेस्पोडेंट संख्या 7 उप तहसीलदार जसोल से तस्दीक करा दिया। उक्त आलोच्य विभाजन के संबंध में तैयार नक्शें का ज्ञान अपीलांटगण को पूर्व में नहीं हुआ, क्योंकि अपीलांटगण अशिक्षित थे। यह आवश्यक है कि दो सहखातेदारान के मध्य जब भूमि का विभाजन किया जाये तब भूमि की उर्वरा स्थिति पक्षकारानों के कब्जा का ध्यान रखा जाना था, परन्तु अपीलाधीन आदेश पारित करते समय उप तहसीलदार

अतिरिक्त कलक्टर
बालोतरा

जसोल ने इन अहम मुद्दों को अनदेखा कर विधिक भूल की है। उक्त आलोच्य विभाजन प्रस्ताव का आदेश शुरू से ही मिलावटी एवं धोखाधड़ीपूर्वक किये जाने से कानूनन स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

5. अपीलांटगण के योग्य अधिवक्ता ने दौराने बहस यह भी कथन किया कि अपीलाधीन आदेश अपीलांटगण व रेस्पोडेंटगण संख्या 1 से 6 के मध्य पूर्व में हुए बाहामी बंटवाड़े के अनुसार नहीं किया गया है तथा नक्शा ट्रेस की तरमीम वर्तमान मौके पर कब्जा काश्त में भारी भिन्नता है। विभाजन प्रस्ताव नक्शा में अपीलांटगण के कब्जा काश्त स्थान को रेस्पोडेंटगण के हिस्से में एवं रेस्पोडेंटगण के कब्जा काश्त स्थान को अपीलांटगण के हिस्से में दर्शा दिया गया। जिस कारण अपीलांटगण की ढाणी व पानी के टांके रेस्पोडेंटगण के कब्जे हिस्से में चले गये है। रेस्पोडेंटगण के चारवाड़े पानी के टांके अपीलांटगण के कब्जे हिस्से में आ गये। वादग्रस्त खेत खसरा नंबर 73 के मौके पर बीचों बीच डामर सड़क वर्षों से संचालित है। अपीलांटगण का मौके पर कब्जा काश्त सड़क के दोनो पर आया हुआ है। विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त नक्शें में पटवारी द्वारा उक्त डामर सड़क को नहीं दर्शाया गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त विभाजन भौतिक कब्जे के अनुसार नहीं है। पक्षकरारान के उक्त खेत के मध्य डामर सड़क मौजुद है। अपीलांटगण को बिना जानकारी के सम्पूर्ण भूमि का विभाजन करने के बाद 2.15 बीघा भूमि सभी पक्षकारानों के मध्य सामलाती रख दी गई, जो ऐसी स्थिति में अपूर्ण बंटवाड़े का कोई औचित्य नहीं है। खातेदारान पक्षकरान ने अपने कब्जे काश्त अनुसार ही 50 वर्षों से भी ज्यादा समय से वादग्रस्त आराजी पर काबिज है। उक्त आलोच्य विभाजन पक्षकारान के भोतिक कब्जें के अनुसार नहीं किया गया है। मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त के विपरीत व भिन्नता पाई गई, जबकि पक्षकारान के मौके पर कब्जे के अनुसार ही तरमीम किया जाना न्याय संगत है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार जसोल द्वारा उक्त आलोच्य विभाजन आदेश निरस्त करते हुए मौके पर कब्जे काश्त के अनुसार पुनः नये सिरे से विभाजन किया जाये।

6. हमने अपीलांट के योग्य अधिवक्ता की बहस सुनी, उपरांत बहस पत्रावली का अवलोकन किया व मनन किया तथा अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रकट तथ्यो एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया, जिसमें पाया कि मौजा चौकड़ीयों की ढाणी, तहसील पचपदरा में खेत खसरा नंबर 73 रकबा 195 बीघा अवस्थित है। उक्त खसरान के खातेदारान अपीलांटगण व रेस्पोडेंटगण द्वारा दिनांक 11.02.2016 को उप तहसीलदार जसोल के समक्ष प्रस्तुत कर संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का बाहमी तौर से विभाजन करने का निवेदन किया। उपरोक्त वर्णित भूमि पक्षकारान के नाम सहकाश्तकारी में दर्ज हैं तथा उपरोक्त विभाजन के सभी पक्षकारान सहमत हैं। इस पर उप तहसीलदार जसोल द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.02.2016 को पारित किया गया। चूंकि अपीलांट की मुख्य आपत्ति है, कि बंटवाड़ा मौके पर कब्जा काश्त के विपरीत हुआ है, जिसके कारण राजस्व रेकर्ड व मौका स्थिति का मिलान नहीं हो रहा है एवं पक्षकारान को अपुर्णीय क्षति हो रही है। कानून की मंशा है कि राजस्व रेकर्ड व मौका स्थिति समानान्तर होनी चाहिए, ताकि एकरूपता बनी रहें। अधीनस्थ न्यायालय से तबल की गई मौका रिपोर्ट में (संलग्न परिशिष्ट अ व ब में)मौजा चौकड़ियों की ढाणी के मूल खसरा नंबर 73 मौके पर डामर सड़क होना

जिला कलक्टर
बालोतरा

बताया गया, लेकिन रेकर्ड में कटाण नहीं होना बताया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय से तलब की गई पत्रावली में सलंग्न मानचित्र में भी डामर सड़क नहीं दर्शाई गयी है। खसरा संख्या 230/73, 231/73, 232/73 के खातेदारी की ढाणियां, टांके तथा कब्जा काश्त मौके पर एक साथ होना बताया गया, लेकिन रेकर्ड में सभी का खसरा नंबर अलग अलग होना बताया गया। खसरा संख्या 229/73 के खातेदारों की ढाणियां, टांके तथा कब्जा काश्त मौके पर अलग अलग होना बताया गया, लेकिन रेकर्ड में एक जगह होना बताया गया। जिससे उक्त खसरान संख्या में मौके व रकेर्ड में भिन्नता पाई जाना स्पष्ट प्रतीत होता है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार जसोल द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व मौका कब्जा की जांच नहीं करने से उक्त विभाजन दूषित एवं विवादित हो गया है, जिसे बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार जसोल द्वारा पारित विभाजन आदेश क्रमांक/भू.अ./16/404 दिनांक 11.02.2016 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार सिवाना को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाता है कि मौका कब्जा एवं पक्षकारान की सहमति अनुसार राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 मे यथा विहित प्रावधानों की पालना करते हुए पुनः नये सिरे से विभाजन की कार्यवाही करें।

8. निर्णय आज दिनांक 12.11.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुशील कुमार)
जिला कलक्टर, बालोतरा

जिला कलक्टर
बालोतरा